तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर... अहकाम... हुक्म... में जारी...
18/01/2023	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण अनुपस्थित। विप्रार्थीगणों को उपस्थित होने हेतु अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 24/01/2023 को पेश हो। [signature]	
24/01/2023	प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण के नोटिस पूर्व रजिस्ट्रड एडी भिजवाये गये जिनको 2 माह से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। बावजुद सूचना को कोई उपस्थित नही हुआ । विप्रार्थीगणों को न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई/ अंतिम आवाज 5.45 PM पर लगाई गई। विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ। लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढ़ा सेढ़ आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वंय या अपने अधीनस्थः भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर	

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2023 / 103 दिनांक : 24/01/2023

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. रावताराम पुत्र मगनाराम जाति जाट निवासी उदाराम की ढाणी छितर का पार तह. बायतु (बाड़मेर)		1. उमाराम पुत्र पेमाराम वगैरा 37, जाति जाट निवासी उदाराम की ढाणी छितर का पार तह. बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 410 / 2022

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – उदाराम की ढाणी , पटवार मण्डल – छितर का पार ,तहसील – बायतु जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 457 / 97, 461 / 97, 464 / 97 रकबा कमशः 4.0450, 2.1762, 2. 2086 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500 / – जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

24/1/2023

(मनोज)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाड़मेर

उपखण्ड कलक्टर (SDO) सत्यमेव जयते बायतु

क्रमांक : वाद / 2023 / 104 - 108 दिनांक : 24/01/2023

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार. बायतु
2. पटवारी हल्का छितर का पार को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री रावताराम पुत्र मगनाराम
4. विप्रार्थी श्री . उमाराम पुत्र पेमाराम वगैरा 37
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु

24/1/2023

उपखण्ड अधिकारी बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाड़मेर